कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 329/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 21.08.2026

साइबर हेल्प डेस्क, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली की त्वरित कार्यवाही से साइबर फ्रॉड की ₹19,999/- की धनराशि पीड़िता के खाते में वापस कराई गई

थाना कोतवाली स्थित साइबर हेल्प डेस्क की त्वरित कार्यवाही से साइबर फ्रॉड की शिकार महिला के खाते से निकाली गई **₹19,999/- की धनराशि वापस कराई गई।**

घटना/ कार्यवाही का विवरण-

घटना के अनुसार पीड़िता **हिना शर्मा पत्नी श्री विपुल शर्मा, निवासी थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़** अपने मोबाइल पर यूट्यूब चला रही थीं। इसी दौरान उनके मोबाइल पर खाते से **₹19,999/- निकलने का मैसेज** प्राप्त हुआ। पीड़िता द्वारा तत्काल साइबर हेल्प डेस्क, थाना कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी गई।

सूचना प्राप्त होते ही **साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 सागर कुमार रंगू** एवं साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक खातों में धनराशि को होल्ड कराया गया। पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप **₹19,999/- की संपूर्ण धनराशि होल्ड कराकर पीड़िता के खाते में वापस कराई गई।**

धनराशि वापस मिलने पर पीड़िता द्वारा **साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली एवं जनपद आजमगढ़ पुलिस** की त्वरित कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया गया।

आमजन से अपील-

जनपद पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के फोन कॉल, मैसेज अथवा लिंक पर अपनी **बैंक संबंधी जानकारी, OTP, पासवर्ड अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें।** साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा **cybercrime.gov.in** पर शिकायत करें। पीड़ित व्यक्ति अपने नजदीकी थाने स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर भी तत्काल संपर्क कर सकते हैं।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली परिसर में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल आयोजित, पुलिसकर्मियों को आपात स्थिति से निपटने का दिया गया प्रशिक्षण

आज दिनांक 21.08.2026 को श्रीमान महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा के आदेश के अनुपालन एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर में अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा **अग्निशमन सुरक्षा संबंधी मॉकड्रिल** आयोजित की गई।

मॉकड्रिल के दौरान अग्निशमन विभाग की टीम के **नीरज कुमार दूबे एवं प्रकाश शाह** द्वारा थाना परिसर में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का भौतिक रूप से संचालन कराते हुए पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को उनके सही एवं सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही, आग लगने अथवा किसी अन्य आपात स्थिति में तत्काल एवं सुरक्षित तरीके से बचाव एवं राहत कार्य करने के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की गई।

मॉकड्रिल के दौरान **थाना कोतवाली के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण एवं डायल-112 के कर्मचारी** उपस्थित रहे।

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

थाना पवई की साइबर टीम की तत्परता से यूपीआई फ्रॉड की ₹48,000/- की संपूर्ण धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पवई की साइबर टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। साइबर टीम की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप **यूपीआई फ्रॉड के शिकार पीड़ित की ₹48,000/- की संपूर्ण धनराशि वापस कराई गई।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक **रामचन्द्र यादव पुत्र वंशराज यादव, निवासी ग्राम खुरचंदा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़** के यूनियन बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर **₹48,000/-** की धनराशि निकाल ली गई थी। घटना की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा तत्काल **राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत संख्या **33105260119888** है।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

शिकायत प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष पवई के निर्देशन में साइबर टीम द्वारा तत्काल जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान फ्रॉड की गई धनराशि का विवरण प्राप्त कर संबंधित खाते को फ्रीज कराने की कार्यवाही की गई। इसके उपरांत साइबर टीम द्वारा **कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 21.08.2026 को फ्रॉड की गई ₹48,000/- की संपूर्ण धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।**

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर सुरक्षा हेतु अपील-

जनपद आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान लिंक, कॉल, मैसेज अथवा यूपीआई अनुरोध पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें। अपने बैंक खाते की जानकारी, **OTP, UPI PIN एवं अन्य गोपनीय जानकारी** किसी के साथ साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** अथवा **cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही कर धनराशि को वापस कराया जा सके।

साइबर टीम पवई-

उ0नि0 मनीष पाल(थानाध्यक्ष पवई) का0 अंकित कुमार, का0 गौतम मध्येशिया थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

शराब के नशे में पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व लकड़ी का टुकड़ा बरामद।

थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 328/26, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त पारस पुत्र रामचेत, निवासी ग्राम शेरवा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 52 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 कुल्हाड़ी एवं एक अदद लकड़ी का टुकड़ा बरामद किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 20.08.2026 को वादिनी श्रीमती प्रमिला पत्नी पारस, निवासी ग्राम शेरवा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 56 वर्ष द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 19.08.2026 को उनके पति पारस उर्फ पारसनाथ पुत्र रामचेत

द्वारा शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से उनके सिर पर हमला किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 328/26, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी-

आज दिनांक 21.08.2026 को उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय पुलिस टीम के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पारस पुत्र रामचेत को अतरैठ से समय करीब 04:10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित घटना में प्रयुक्त 01 कुल्हाड़ी एवं एक अदद लकड़ी का टुकड़ा उसके घर के पीछे झाड़ियों से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पारस पुत्र रामचेत, निवासी ग्राम शेरवा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 52 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 328/26, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

01 कुल्हाड़ी, 01 लकड़ी का टुकड़ा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय, का0 उमेश कुमार, का0 अजीत कुमार, का0 अभिषेक मिश्रा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

☐ चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना जीयनपुर पुलिस ने किया चोरी की घटना का सफल अनावरण।

☐ गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद, अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी।

घटना का विवरण-

दिनांक 23.07.2026 को वादी अबुतालीब पुत्र सम्मी अहमद, निवासी ग्राम रौजा सैफनपट्टी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि उनका भतीजा जैद खान मोटरसाइकिल संख्या UP50 AM 8013 से कस्बा सगड़ी स्थित इमरान के घर गया था, जहां से अज्ञात चोरों द्वारा उक्त मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0315/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 02 अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 दल प्रताप यादव द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के नेतृत्व में, आज दिनांक 21.08.2026 को उ0नि0 दल प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अहमद शेख पुत्र अफजल शेख, निवासी ग्राम अंजान शहीद, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को खालिसपुर नहर तिराहा के पास से समय करीब 02:15 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई 01 होंडा साइन 125 सीसी मोटरसाइकिल संख्या UP50 AM 8013 बरामद की गई। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0315/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अहमद शेख पुत्र अफजल शेख, निवासी ग्राम अंजान शहीद, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0315/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर।
2. मु0अ0सं0 466/2022 धारा 323, 352, 504, 506 भादवि, थाना जीयनपुर।
3. मु0अ0सं0 289/2023 धारा 34, 354, 504, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)(w)(i), 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना जीयनपुर।

बरामदगी-

01 होंडा साइन 125 सीसी मोटरसाइकिल संख्या UP50 AM 8013।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दल प्रताप सिंह, उ0नि0 संतोष कुमार सिंह, रि0का0 उत्कर्ष सिंह, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ |

☐ थाना रौनापार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार,
☐ अभियुक्त द्वारा वादिनी के सिर पर लाठी-डंडे से किया गया था हमला, जान से मारने की धमकी देने का आरोप।

थाना रौनापार पुलिस द्वारा अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जानलेवा हमला करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त पन्नेलाल यादव पुत्र रामप्रित यादव, निवासी रोशनगंज, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

वादिनी श्रीमती सुशीला देवी पत्नी नन्दलाल यादव, निवासी रोशनगंज, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 13.07.2026 को पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी द्वारा उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से सिर पर लाठी-डंडे से प्रहार कर घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया।
प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 197/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम पन्नेलाल यादव पुत्र रामप्रित यादव पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के आदेश के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 सिद्धेश्वर सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.08.2026 को अभियुक्त पन्नेलाल यादव को निबिहवा ढाला से समय करीब 11:00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 197/26, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पन्नेलाल यादव पुत्र रामप्रित यादव, वादिनी के जेठ, निवासी रोशनगंज, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 197/26, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सिद्धेश्वर सिंह, उ0नि0 संजय सिंह, हे0का0 संतोष यादव, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

□ परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की पहल से टूटने की कगार पर पहुंचा परिवार फिर जुड़ा, 01 प्रकरण में कराया गया सफल समझौता।

□ 05 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को नोटिस/दूरभाष के माध्यम से बुलाकर की गई काउंसलिंग, 04 प्रकरणों में पक्षकारों की उपस्थिति।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक *20.08.2026* को थाना कोतवाली परिसर स्थित *परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण* में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल *05 पत्रावलियों* में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें *04 पत्रावलियों* में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। परामर्शदात्री टीम द्वारा अथक प्रयास कर *01 प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य सफलतापूर्वक समझौता कराया गया।*

एक प्रकरण में आवेदिका द्वारा आरोप लगाया गया था कि पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में चार पहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया तथा विदाई की तिथि निर्धारित होने के बावजूद विदाई नहीं कराई गई। मामले में दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर पारिवारिक विवाद का समाधान कराया गया।

शेष *03 पत्रावलियां अन्य कारणों से बंद* की गईं। शेष प्रकरण में अग्रिम तिथि नियत कर नोटिस/दूरभाष के माध्यम से पक्षकारों को सुनवाई हेतु अवगत कराया जाएगा।

कुल समझौते – 01

समझौता प्राप्त पक्षकार:

गीता पुत्री रघुवर, ग्राम दौलतपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

उपस्थित पुलिस कर्मी:

उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह।

नई किरण प्रोजेक्ट बिखरे हुए परिवारों को आपसी संवाद एवं समझौते के माध्यम से पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। इसके माध्यम से पारिवारिक विवादों का आपसी सहमति से समाधान कर परिवारों में पुनः सौहार्द एवं विश्वास स्थापित करने तथा माननीय पारिवारिक न्यायालय के कार्यभार को कम करने में सहयोग किया जा रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 21.08.2026

□ *साइबर फ्रॉड के मामलों में आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही, पीड़ितों के कुल ₹21,640/- वापस कराए गए।*
□ *थाना निजामाबाद एवं थाना मुबारकपुर की साइबर टीम की तत्परता से साइबर ठगी की धनराशि कराई गई वापस।*

थाना निजामाबाद एवं थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद एवं थाना मुबारकपुर की साइबर टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड के 02 मामलों में पीड़ितों की कुल ₹*21,640/-* धनराशि वापस कराई गई।

थाना निजामाबाद

दिनांक 30.10.2025 को आवेदिका मुस्लिहा निवासी बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के साथ *डिजिटल अरेस्ट* के नाम पर साइबर फ्रॉड कर ₹11,000/- की धनराशि ठगी कर ली गई थी। आवेदिका द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर *1930* पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत संख्या *33110250151185* है। शिकायत के आधार पर NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्रॉड की धनराशि को संबंधित खाते में होल्ड कराया गया। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए MRM पोर्टल के माध्यम से ₹*11,000/-* की सम्पूर्ण धनराशि आवेदिका के खाते में वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर आवेदिका द्वारा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

थाना मुबारकपुर

दिनांक 17.10.2025 को आवेदिका आयशा खातून पत्नी अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम पूरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के साथ पासपोर्ट का पता अपडेट करने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिंक भेजकर साइबर फ्रॉड किया गया, जिसमें कुल ₹*99,600/-* की धनराशि कट गई। शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर *1930* एवं NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी Ack No. *33110250142579* है। शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ₹*67,075.35/-* धनराशि होल्ड कराई गई। स्थानीय साइबर क्राइम टीम थाना मुबारकपुर एवं जनपद साइबर सेल के सहयोग से फ्रॉड की गई धनराशि में से ₹*10,640/-* शिकायतकर्ता को वापस कराए गए। शेष धनराशि के संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

साइबर सुरक्षा हेतु अपील

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक, मैसेज अथवा ऐप पर बिना सत्यापन के क्लिक न करें। बैंक खाता, OTP, UPI PIN एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। *डिजिटल अरेस्ट* जैसी किसी भी धमकी पर विश्वास न करें। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल *1930* पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे ठगी की धनराशि को समय रहते होल्ड कराकर वापस कराने की कार्रवाई की जा सके।

साइबर टीम थाना निजामाबाद

1. उ0नि0 दिलीप आनन्द,का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह, म0आ0 रेनू देवी

साइबर टीम थाना मुबारकपुर

1. उ0नि0 विधनेश वर्मा, म0का0 प्रियंका तिवारी, का0 विवेक चौहान